बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग)

पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, पटना–1

बिहार सरकार

भवनों के भूकम्परोधी तकनीक पर राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने हेतु इच्छुक असैनिक अभियन्ताओं एवं वास्तुविदों के लिए आवश्यक सूचना

बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी या गैर–सरकारी अभियंताओं, वास्तुविदों, संवेदकों, निर्माणकर्त्ताओं एवं राजमिस्त्रियों को भूकम्परोधी निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण तकनीक संबंधी अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है। तदनुसार राज्य के विभिन्न प्रखंडों में राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण करना है। प्रशिक्षण देने के लिए सुयोग्य प्रशिक्षकों की आवश्यकता है, जिनके द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के एवज में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदेय एवं मार्गव्यय दिया जाएगा।

इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इच्छुक एवं समर्पित, सरकारी या गैर–सरकारी, कार्यरत या अवकाशप्राप्त असैनिक अभियंताओं एवं वास्तुविदों को प्रशिक्षित एवं उनका मूल्यांकन कर राज्यस्तरीय प्रशिक्षक के रूप में चयनित किया जाएगा। अभियंताओं/वास्तुविदों को इस प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु उचित मानदेय दिया जाएगा।

प्रशिक्षक बनने के लिए इच्छुक असैनिक अभियन्ताओं एवं वास्तुविदों से अनुरोध है कि 31 दिसम्बर 2017 तक अपना नाम, पदनाम, विभाग/संस्थान, उम्र, शैक्षणिक योग्यता, ईमेल एवं मोबाइल नम्बर सहित अपनी विवरणी ttdata@bsdma.org पर ईमेल करें। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को पंजीकृत कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाएगा।

अधिक जानकारी के लिये प्राधिकरण कार्यालय के वरीय सलाहकार (तकनीकी) से मो. 9431011010 पर या ईमेल bkm@bsdma.org पर सम्पर्क किया जा सकता है।

– सचिव